फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

सरकार बनाम खेमराज वगै0

मुकदमा नं0 :— 172/2025

क्रम सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.12.2025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हमारी भूमि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारागढ जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 0.0506है0 व खसरा नम्बर 187 स्थित है। जिसको हम कृषि कार्य में उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 2.5166है0 में से 0.2529है0 भूमि बबीता पत्नी जगमोहन जाति मीणा निवासी पीएनए 65, विष्णु विहार, जगतपुरा जयपुर को बेचान कर दी गई है। तत्पश्चात खातेदार बबीता द्वारा अपनी भूमि पर तारबन्दी कर मौके पर निवास हेतु 100वर्गगज का एक मकान का निर्माण व पशु हेतु एक बाडे को निर्माण कर लिया है। उक्त शेष भूमि कृषि का उपयोग हमने हम खातेदारों द्वारा कॉलोनी विकसित करने के उद्वेश्य से कर लिया था। जिस बाबत हमको प्राप्त नोटिस बिना भूमि रूपान्तरण कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग नही हो सकता। उक्त भूमि पर हमने कॉलोनी काटने के उद्वेश्य से मिटटी की रोड बना ली थी। परन्तु उक्त प्रकरण मे प्राप्त नोटिस के बाद रोडों को हमने अपने स्तर से हटा लिया ओर अब वर्तमान मे समतल कर भूमि की जुताई कर दी है। वर्तमान में मेरी कृषि भूमि पर पेड पौधे विकसित है एवं भूमि का कृषि उपयोग हो रहा है। जिसके संबंध मे शपथ पत्र भी पेश किया गया है तथा मौका रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है। अतः उक्त वाद पत्र को खारिज फरमाया जावें। पत्रावली में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः तहसीलदार जमवारामगढ से रिपोर्ट मंगवायी गई। जिस पर पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवरामगढ) द्वारा अपने पत्रांक/आर0ए0/25/9383 दिनांक 26.11.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि खसरा नम्बर 186 रकबा 0.0506है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्राप्त है तथा नोट लगा हुआ है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट मौके पर कॉलोनी काटने से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन नही है। मौके पर रकबा 0.0506है0 कुआ बना है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 0.0506है0 पर अप्रार्थीगण/खातेदार द्वारा कृषि से गैर कृषि कार्य में उपयोग नही किया जा रहा है तथा अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इन निर्देशों के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार जमवारामगढ उक्त खसरा नम्बर पर समय–समय पर निगरानी बनाये रखे एवं भविष्य में नियम विरूद्व किसी प्रकार का कार्य किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करें। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner